सेन्ट्रल जोन इंश्योरेन्स एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से सम्बद्ध)

प्रभांजलि, 33, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

परिपत्र/विशेष **दिनांक : 03.03.2016**

मध्य क्षेत्र के समस्त बीमा कर्मियों के नाम

प्रिय साथियों,

विषय : 8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको बधाई, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। आज जब सरकारों द्वारा कोशिश की जा रही है कि कामकाजी महिलाओं के साथ समस्त महिलाओं के संघर्षों के उस इतिहास को भुला दिया जाये जो 100 वर्षों से भी पहले मेहनतकश महिलाओं ने कुर्बानी देकर किया था। महिलाएं जब घरों से निकल कर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं तब शोषण के नये-नये रूप सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें महिला संघर्ष के उसी जज्बे को आत्मसात करना होगा जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी महिलाओं क्लारा जेटकिन और रोजा लक्समबर्ग ने किया था। ज्ञातव्य है कि 8 मार्च 1857 को अमेरिका के न्यूयार्क के परिधान और टेक्स-टाईल कामगार महिलाओं ने संगठित होकर काम की अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ, 12 घण्टे के काम के खिलाफ और समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और 2 वर्षों के संघर्ष के बाद संगठित होने का अधिकार तो प्राप्त किया किन्तु दमन की प्रक्रिया निरन्तर जारी रही। 1908 में न्यूयार्क में बड़ी संख्या में महिला कामगारों ने काम के घण्टे कम करने की मांग, वेतन में वृद्धि और वोट देने के अधिकार की मांग को लेकर सोशलिस्ट नेतृत्व में तीव्र प्रदर्शन किये। 1909 में अमेरिका के वस्त्र उद्योग की महिलाओं ने 13 सप्ताह तक बेहतर वेतन व काम की दशा की मांग को लेकर हड़ताल किया। 1910 में कोपेनहेगेन में महिला कामगारों के दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सचिव क्लारा जेटकिन ने 1909 में अमेरिका में आयोजित महिला दिवस की तर्ज पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा साथ ही इस दिन को कामकाजी महिलाओं के लिए श्रम कानूनों, मताधिकार और शांति की मांग पर जोर देने के लिए कहा। क्लारा जेटकिन का प्रस्ताव सभी ने माना, इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस अस्तित्व में आया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए एक सदी बीत गई किन्तु महिलाओं का संघर्ष, श्रम कानूनों, शांति और सुरक्षा और सम्मान के लिए, अब भी जारी हैं। मताधिकार अमेरिका में मिल गया है, हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, आजादी मिलते ही महिलाओं को मताधिकार मिला था और अब तो सऊदी अरब में भी महिलाओं को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया है। कानून तो समान काम और समान वेतन के हैं किन्तु महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव होता है। आंगनबाड़ी, आशा में काम करने वाली महिलाएं वर्षों से संघर्ष कर रही है किन्तु सरकार तो उनके मेहनतक को श्रम मानती ही नहीं इसीलिए नाममात्र का मानदेय देती है। महिलाओं को सस्ते और आसानी से उपलब्ध श्रम माना जाता है। यह रवैया बताता है कि महिलाओं को अभी संघर्ष का लम्बा सफर तय करना है।

महिलाओं का संघर्ष जन्म लेने की जद्दोजहद से लेकर पूरा जीवन ही शोषण का सामना करते और उसके खिलाफत करने की कहानी कहता है। भ्रूम हत्या से बचकर, बचपन से भेदभाव झेलकर घर वालों की इच्छा के अनुसार शिक्षा लेकर, कभी जिम्मेदारी, कभी बोझ, कभी दूसरों की अमानत जैसे संबोधन सुनते हुए, अपने लिए दूसरों के द्वारा तय पैमानों (क्या पहनना, कब बाहर निकलना) के खिलाफत करते हुए अपने अस्तित्व का बोध करवाना भी उनके संघर्ष में शामिल होता है। जब वो महंगाई का सामना करने के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए श्रम के मैदान में उतरती है तो बाजार उसका इस्तेमाल करने को तत्पर दिखता है, वो महिला को वस्तु की तरह या वस्तु के विक्रय में सहायक के रूप में उपयोग करता है। आधुनिकता और आजाद ख्याली के नाम पर महिलाओं को सौंदर्य के प्रतिमानों से बांधा जाता है, उनकी योग्यता काम से नहीं स्वयं के प्रदर्शन से नापी जाती है। साम्प्रदायिक और

राजनीतिक ताकतें भी मोहरे के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या लगातार कम होने का एक बड़ा कारण कन्या भ्रूण हत्या है इसीलिए भ्रूण परीक्षण पर कानूनन रोक लगाई गई है, अब एक मंत्री भ्रूण परीक्षण को आवश्यक करने की वकालत करने लगी हैं। एक नई योजना ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' शुरू की गई है। समाज की व्यवस्था ऐसी, जिसमें रिश्तों के अलावा महिलाओं की न कोई पहचान है न ही सामाजिक अधिकार, उसे अपनी चेतना के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं देते (उदा. सरपंच पति)। जब भ्रूण परीक्षण के बाद कन्या भ्रूण की हत्या की जाती है तब इसकी पुन: वकालत क्यों? तब फिर क्या 'बेटी-बचाओ' दिखावे का अभियान ही नहीं मालूम होता। एक सम्मेलन में बताया गया कि बलात्कार के दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में दर्ज नहीं होने मामले कम से कम 30 गुना है (द हिन्दू 26.8.2013)। हमारे समाज में हिंसा हमेशा से मौजूद रही है इसे कम करने के स्थान पर उदारीकृत उपभोक्तावादी नीतियों ने इसमें और वृद्धि की है।

किसी भी देश की प्रगति को इसी पैमाने पर नापा जाता है कि वहां महिलाओं शिक्षा, सेहत, सुरक्षा, गरिमा और सम्मान की क्या स्थिति है अथा4त समाज में महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करके ही समाज और देश की प्रगति को सुरनिश्चित किया जा सकता है। मात्र कुछ उच्च पदों पर आसीन महिलाओं के नाम गिनवा कर समस्त महिलाओं को प्रतिष्ठा नहीं दिलाई जा सकती है। हमारे देश में महिलाओं को अंध-विश्वास, रूढ़िवाद और गलत परम्पराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम माना जाता है। इसके लिए मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में महिलाओं से संबंधित अनेक कानून (भ्रूण परीक्षण, भ्रूण हत्या, भेदभाव, शिक्षा, दहेज, घरेलू हिंसा, सती प्रथा के खिलाफ) हैं, इनका सही प्रचार, इस्तेमाल करें तो महिलाओं का विकास होगा जिससे देश स्वत: विकसित हो जायेगा किन्तु पुरूष प्रधान समाज महिलाओं में आत्म-विश्वास जगाकर अपने निर्णय स्वयं लेकर व्यवस्था में भागीदारी देने को सरलता से तैयार नहीं होगा यही कारण है कि विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल 1996 से अब तक पारित नहीं हो सका, राज्यसभा में पारित होने के बावजूद लोकसभा में पारित करवाने की इच्छा शक्ति सरकार में दिखाई नहीं देती। इसके लिए समस्त जनवादी संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं को संघर्ष करना होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण यह एक बेहतर कदम होगा।

सी.जेड.आई.ई.ए. ने सदा ही ए.आई.आई.ई.ए. के दिशा निर्देश के अनुसार महिलाओं सहित समस्त सदस्यों को अंध-विश्वास, रूढ़िवाद, गलत परम्पराओं और साम्प्रदायिकता के खिलाफ शिक्षित कर उन्हें सांगठनिक, सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक रूप से जागरूक किया है। उन्हें नेतृत्व के लिए तैयार किया है। सही दिशा में शिक्षित महिलाएं ही अंध-विश्वास, रूढ़िवाद और साम्प्रदायिक ताकतों के संघर्ष कर इसे समाज और आगे लेकर जायेंगी। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समानता के लिए हमें इसी तरह के विचार रखने वालों के साथ एकजुट संघर्ष करना होगा।

हम बीमा कर्मचारियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए निरन्तर संघर्ष कर अपने उद्योग को सार्वजनिक उद्यम के रूप में बचाये रखा है। सार्वजनिक उद्योगों के विनिवेशीकरण करने के सरकारी प्रयास जारी रहेंगे अत: हमें भी मेहनतकशों की एकजुटता और जागरूकता के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। इस सरकार के सत्तासीन होते ही साम्प्रदायिक शक्तियां भी सक्रिय हुई हैं, सरकार की आलोचना सुनते ही ये चौतरफा हमले करते हैं। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष और जनवादी ताकतों की एकता आवश्यक है अन्यथा ये शक्तियां मेहनतकशों की एकता को तोड़कर उन्हें मेहनतकश नहीं धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर उनकी पहचान बताने लगेंगे। हमारे अपने उद्योग पर बीमा कानून संशोधन बिल 2015 का विपरीत असर पड़ने की संभावना है इसके लिए हमारे उद्योग के सभी कर्मियों, विकास वाहिनी और पालिसीधारकों को एकजुट संघर्ष करना होगा। नई भर्ती पेंशन के एक और विकल्प का संघर्ष भी हमारे सामने है। 2 सितम्बर 2015 की सफल हड़ताल में 15 करोड़ मेहनतकशों ने शिरकत किया उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करना है और अधिक जन जागरूकता बढ़ाना है। 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम अपने संघर्षों को एक और आयाम दें, कुछ और लोगों के सथ जुड़े और उन्हें अपने साथ जोड़े। इस अवसर पर सभी मंडलीय और शाखा इकाईयों में सभा, सेमीनार, और गोष्ठी का आयोजन करें अपने कार्यक्रमों में जनवादी संगठनों को अवश्य शामिल करें साथ ही उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी दर्ज करें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

आपकी साथी

(उषा परगनिहा)

संयोजिका

मुद्रक : एक्सेल ऑफसेट प्रिन्टर्स, फूल चौक, रायपुर (छ.ग.) दूरभाष : 0771-4053295